

देवेंद्र कुमार और अन्य

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य

दाण्डिक अपील सं 328/2015

06 नवंबर 2024

[बी. आर. गवई, न्यायाधीश * ¹प्रशांत कुमार मिश्रा, न्यायाधी तथा के. वी. विश्वनाथन, न्यायाधीश]

विचार हेतु विवाद्यक

क्या दोषसिद्धि भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए होगी या किसी कम गंभीर अपराध के अंतर्गत।

हेडनोट्स :---

दंड संहिता, 1860 – धारा 304 भाग I, 302, 307 धारा 34 के साथ पढ़ें सदोष मानव वध के लिए दंड अपीलकर्ताओं और पीड़ित के परिवारों के बीच पिछली वैमनस्यता अपीलकर्ताओं ने पीड़ित को जान से मारने की धमकी देने के बाद हथियारों से हमला किया और बाद में पीड़ित ने अपनी चोटों के कारण दम तोड़ दिया – विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ताओं को धारा 302 और धारा 307 के साथ पढ़ें 34 के तहत दोषी ठहराया गया और तदनुसार दंड पारित किया गया –

अभिनिर्धारित किया गया:--- चिकित्सा विशेषज्ञ का यह साक्ष्य कि मृतक की मृत्यु हत्या कि प्रकृति की थी, हस्तक्षेप की मांग नहीं करता है – प्रत्यक्षदर्शियों की विश्वसनीय साक्षी के तहत, विचारण न्यायालय के इस निष्कर्ष में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है कि मृतक की मृत्यु अपीलकर्ताओं द्वारा पहुंचाई गई चोटों के कारण हुई थी – पक्षों के बीच पहले से वैमनस्यता थी – गांव के सरपंच के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ताओं और मृतक के बीच झगड़ा हुआ था – अभियुक्तगण द्वारा इस्तेमाल किए गए हथियार कुल्हाड़ी और लाठी हैं, जो आमतौर पर कृषकों द्वारा उपयोग किए जाते हैं – यह दिखाने के लिए अभिलेख पर कोई सामग्री नहीं है कि कोई पूर्वचिंतन था – इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, अचानक झगड़े के बाद आवेश में अचानक लड़ाई में अपीलकर्ताओं द्वारा पूर्वचिंतन के बिना अपराध किए जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है – मृतक को लगी चोटों की प्रकृति से, यह नहीं कहा जा सकता है कि अपीलकर्ताओं ने अनुचित लाभ उठाया है या क्रूर या असामान्य तरीके से काम किया है धारा 302 को धारा 304 के भाग I के अंतर्गत संशोधित किया गया – अपीलकर्ताओं को पहले से ही बिताई गई अवधि के लिए दंड पारित किया गया है। [कंडिका 18, 19, 20, 21, 23]

अधिनियमों की सूची

दंड संहिता, 1860।

मुख्य शब्दों की सूची

पूर्व वैमनस्यता ; हत्या की धमकी देना; साक्ष्य; चिकित्सा विशेषज्ञ; हत्या की मौत; विश्वसनीय साक्षी ; चक्षुदर्शी साक्षी ; झगड़ा; पूर्वधारणा; आवेश में अचानक झगड़े पर अचानक लड़ाई में पूर्वचिंतन; अनुचित लाभ; क्रूर या असामान्य तरीके से कार्य करना; संदेह का लाभ।

प्रकरण उत्पन्न हुआ --

दाण्डिक अपील की क्षेत्राधिकार से उत्पन्न मामला:---दाण्डिक अपील सं 328/2015

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर के सी.आर.एल.ए. संख्या 15/2004 के दिनांक 04.10.2010 के निर्णय एवं आदेश से

पक्षकारों की उपस्थिति

अपीलकर्ता हेतु : --विक्रान्त नारायण वासुदेव (ए.सी.), अधिवक्ता

उत्तरवादी हेतु :--रवि कुमार शर्मा, उप महाधिवक्ता, श्रीमती प्रेरणा ढल, पीयूष यादव, सुश्री आकांक्षा सिंह, प्रफुल्ल कुमार, प्रशांत सिंह, अधिवक्ता

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

निर्णय:--

बी. आर. गवई, न्यायाधीश के अनुसार

1. यह अपील दाण्डिक अपील क्रमांक 15/2004 में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर की खंडपीठ द्वारा पारित दिनांक 4 अक्टूबर, 2010 के निर्णय और आदेश को चुनौती देती है, जिसके तहत उच्च न्यायालय ने वर्तमान अपीलकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत दाण्डिक अपील को खारिज कर दिया गया था और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एफटीसी), कवर्धा (छ ग)² द्वारा एसटी क्रमांक 50/2003 में पारित दिनांक 17 अक्टूबर, 2003 के दोषसिद्धि और दंड के आदेश को यथावत रखा गया था।

2. वर्तमान अपील के तथ्य इस प्रकार हैं: --

2.1 20 दिसंबर 2002 को लगभग 11 बजे, ग्राम छिरहा में एक पान की दुकान के दुकानदार धनू दास (पीडब्लू-2) द्वारा परिवाद दर्ज कराई गई थी, जिसने अपनी दुकान के पास एक घटना देखी थी जिसमें

2 इसके बाद 'विचारण न्यायालय' के रूप में संदर्भित किया जाता है।

अपीलकर्ताओं ने मृतक, अर्थात् बहल पर लाठियों, एक छड़ और एक कुल्हाड़ी से हमला किया था और धमकी दी थी कि वे उसे जान से मार देंगे। परिवाद प्राप्त होने पर, कवर्धा पुलिस थाना ने अपीलकर्ताओं के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 307 सहपठित धारा 34 के तहत अपराध क्रमांक 262/2002 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट³ दर्ज की।

2.2 प्रासंगिक रूप से, उस घटना के घटित होने से पहले, जिसके कारण अंततः यह दाण्डिक अपील कि गई, वर्तमान अपीलकर्ताओं और मृतक के परिवारों के बीच कुछ कृषि भूमि और उसमें मौजूद फसलों से संबंधित एक भूमि विवाद लंबित था। लंबित वाद में, उप खंड मजिस्ट्रेट ने दाण्डिक मामला संख्या 216/2003 में 17 दिसंबर 2002 को बहलराम बनाम देवेंद्र शीर्षक से एक आदेश पारित किया था, जिससे दंड प्रक्रिया संहिता, 1973⁴ की धारा 145 के तहत कार्यवाही बंद हो गई थी। यह आदेश छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा पारित आदेश के तहत दिया गया था, जिसमें वर्तमान अपीलकर्ताओं के कब्जे में मौजूद कृषि क्षेत्रों के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया गया था।

2.3 अभियोजन पक्ष की कहानी के अनुसार, 20 दिसंबर 2002 को सुबह लगभग 9 बजे रजनी बाई (पीडब्लू-1) और उसका पुत्र बहल, मृतक, कवर्धा से पैदल चलकर ग्राम छिरहा पहुंचे थे। ग्राम छिरहा पहुंचकर मृतक धनू दास (पीडब्लू-2) की पान दुकान के पास रुके थे। मृतक ग्राम छिरहा के सरपंच घुरवाराम पटेल (पीडब्लू-4) को उप खंड मजिस्ट्रेट द्वारा 17 दिसंबर 2002 को पारित आदेश दिखा रहा था, तभी वर्तमान अपीलकर्ता घटनास्थल पर पहुंचे। अपीलकर्ता क्रमांक 1-देवेंद्र और अपीलकर्ता क्रमांक 2-रोहित लाठियों से लैस थे, जबकि अपीलकर्ता क्रमांक 3-बानऊराम कुल्हाड़ी और अपीलकर्ता क्रमांक 4-कुलेश्वर छड़ लिए हुए थे। मृतक को चेतावनी देने के बाद कि वे उसे उस दिन मार देंगे क्योंकि वह सदैव भूमि के मामले में झगड़ा करता था और वाद दियर करता था, अपीलकर्ताओं ने मृतक के साथ मारपीट की, जिसके परिणामस्वरूप मृतक को कई चोटें आईं। यह देखकर, रजनी बाई (पीडब्लू-1) ने हस्तक्षेप किया, जिसके कारण अपीलकर्ताओं ने उसके साथ भी लड़ाई की, जिसमें उसे भी कई चोटें आईं। उसी दिन दोपहर करीब 1:15 बजे, उपचार के दौरान, मृतक ने दम तोड़ दिया।

2.4 इसके बाद, शव परीक्षण किया गया, जिसमें यह निष्कर्ष निकाला गया कि मृत्यु का कारण आंतरिक रक्तस्राव के कारण कोमा था, जो बदले में सिर में फ्रैक्चर के कारण मस्तिष्क की चोट के कारण हुआ था।

2.5 अन्वेषण पूरी होने पर, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कवर्धा की न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया था। चूंकि प्रकरण विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय था, इसलिए इसे विचारण न्यायालय को सौंप दिया गया।

2.6 विचारण न्यायालय द्वारा भा.दं. सं. की धारा 302 के साथ धारा 34 और वैकल्पिक रूप से धारा 307 के साथ धारा 34 के तहत आरोप दायर किया गया। अपीलकर्ताओं ने स्वयं को निर्दोष बताया गया और वाद चलाने का दावा किया गया।

3संक्षेप में एफआईआर”

4संक्षेप में "आईपीसी”

2.7 अभियोजन पक्ष ने अपीलकर्ताओं के अपराध को साबित करने के लिए 15 साक्षियों की परीक्षा कि गई थी। अपने बचाव में अपीलकर्ताओं ने आरोपों से इनकार किया और कहा कि कृषि भूमि विवाद के कारण उन्हें झूठा फंसाया गया था।

2.8 वाद के समापन पर, विचारण न्यायालय ने यह पाया कि अभियोजन पक्ष ने अपीलकर्ताओं के विरुद्ध प्रकरण साबित कर दिया है और तदनुसार, उन्हें भा.दं. सं. की धारा 302 और धारा 307 के साथ धारा 34 के तहत दोषी ठहराया गया और उन्हें आजीवन कारावास का दंड पारित किया गया था।

2.9 इससे व्यथित होकर, अपीलकर्ताओं ने उच्च न्यायालय के समक्ष दायित्व अपील प्रस्तुत कि है। उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय और आदेश के तहत दायित्व अपील को खारिज कर दिया और विचारण न्यायालय द्वारा दिया गए दंड और दोषसिद्धि के आदेश की पुष्टि की गई थी।

3. इससे व्यथित होकर, वर्तमान अपील प्रस्तुत किया गया है।

4. हमने उत्तरवादी छत्तीसगढ़ राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान न्यायमित्र श्री विक्रान्त नारायण वासुदेवा और विद्वान उप महाधिवक्ता श्री रवि कुमार शर्मा को सुना है।

5. विद्वान न्यायमित्र प्रस्तुत करते हैं कि कि यह एक स्वीकृत तथ्य है कि अपीलकर्ताओं के परिवार और मृतक के परिवार के बीच पहले से ही वैमनस्यता रही है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि आक्षेपित भूमि पर अपीलकर्ताओं का कब्जा था। हालांकि, मृतक अपीलकर्ताओं को उक्त भूमि से बेदखल करने का प्रयास कर रहा था। यह प्रस्तुत किया गया है कि घटना दिनांक से एक महीने पहले, अपीलकर्ता सं 1-देवेंद्र कुमार की पत्नी ने मृतक के विरुद्ध जबरन बेदखली के संबंध में एक प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसलिए, यह प्रस्तुत किया गया है कि अपीलकर्ता दोषमुक्त होने के हकदार हैं।

6. वैकल्पिक रूप से, विद्वान न्यायमित्र ने प्रस्तुत किया कि मृतक द्वारा अपीलकर्ताओं को संबंधित भूमि से बेदखल करने का प्रयास किया और अपीलकर्ताओं द्वारा आवेश में अचानक लड़ाई में बिना किसी पूर्व योजना के अपराध करने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसलिए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि अपराध, अधिक से अधिक, भा.दं. सं. की धारा 304 के भाग I या भाग II के अंतर्गत आता है।

7. इसके विपरीत, उत्तरवादी-राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि दोनों विद्वान विचारण न्यायालय और साथ ही उच्च न्यायालय ने साक्ष्य की उचित सराहना के आधार पर, अपीलकर्ताओं को भा.दं. सं. की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया है। इसलिए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि कोई हस्तक्षेप उचित नहीं होगा।

8. यह भी कहा गया है कि वर्तमान मामला प्रत्यक्ष साक्ष्य का मामला है जिसमें कई प्रत्यक्षदर्शियों ने अभियोजन पक्ष के कथन का समर्थन किया है।

9. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता की सहायता से, हमने अभिलेख पर रखे गए साक्ष्य का अवलोकन किया है।

10. चिकित्सा विशेषज्ञ डॉ. एन.के. यदु (पीडब्लू-6) के साक्ष्य से, हमें यह ज्ञात होता है कि मृतक बहल की मृत्यु हत्या कि प्रकृति कि थी तथा इस निष्कर्ष में न्यायालय द्वारा कोई हस्तक्षेप उचित नहीं है। एकमात्र प्रश्न

यह है कि क्या दोषसिद्धि भा.द.स. कि धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध के लिए होगी या कमतर अपराध के तहत।

11. रजनी बाई (पीडब्लू-1) मृतक बहल की माता है। उसने यह कथन किया है कि घटना दिनांक को, जब मृतक सरपंच को मामले से संबंधित दस्तावेज दिखा रहा था, तो उसने अभियुक्त को उसके पुत्र पर हमला करते देखा। उसने यह भी कहा है कि अभियुक्त देवेंद्र कुमार (अपीलकर्ता नंबर 1) ने बांस की छड़ी से उस पर हमला किया था।

12. रजनी बाई (पीडब्लू-1) के पति और अभियुक्त क्रमांक 1-देवेंद्र कुमार व अन्य के बीच पूर्व रंजिश व चल रहे विवाद के तथ्य से उसके द्वारा इनकार नहीं किया गया है। उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह भी स्वीकार किया है कि उसके पुत्र और अपीलकर्ताओं के बीच ठेले के पास झगड़ा हुआ था।

13. रजनी बाई (पीडब्लू-1) के साक्ष्य की पुष्टि धनू दास (पीडब्लू-2) द्वारा की गई है। उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि उसकी दुकान और देवेंद्र कुमार व अन्य का खेत उसके बगल में है। उसने यह भी स्वीकार किया है कि देवेंद्र कुमार व अन्य उसकी दुकान के बगल में खेती कर रहे थे।

14. पुसाऊ (पीडब्लू-3)-राजमिस्त्री ने भी अभियोजन के कथन का समर्थन किया है।

15. घुरवाराम (पीडब्लू-4)-गांव के सरपंच ने भी अभियोजन पक्ष के कथन का समर्थन किया है। उसने अपने प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया है कि जब मृतक उसके पास आया था, तो उसने एसडीओ रसंडीगोठ का आदेश पढ़कर सुनाया था और उससे कहा था कि वह आधी भूमि की फसल काट लेगा।

16. प्रत्यक्षदर्शियों की विश्वसनीय साक्षी के तहत, हमारे पास विचारण न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय के इस निष्कर्ष में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है कि मृतक की मृत्यु अपीलकर्ताओं द्वारा पहुंचाई गई चोटों के कारण हुई थी।

17. अगला प्रश्न जिस पर विचार किया जाना आवश्यक है, वह यह है कि क्या यह प्रकरण भा.दं.सं. कि धारा 302 के अंतर्गत आता है या नहीं।

18. यह विवाद का विषय नहीं है कि पक्षों के बीच पहले से वैमनस्यता थी। अभियुक्त संबंधित भूमि पर काबिज थे। घटना की तिथि से एक महीने पहले, अपीलकर्ता सं 1-देवेंद्र कुमार की पत्नी ने मृतक के विरुद्ध प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज कराई गई थी क्योंकि उसने अपीलकर्ताओं को बेदखल करने का प्रयास किया था।

19. अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्यों, विशेषकर धनू दास (पीडब्लू-2) के साक्ष्य, जिसकी उपस्थिति में घटना घटी है, से यह स्पष्ट है कि घटना स्थल अपीलकर्ताओं के कब्जे वाले खेत से सटा हुआ है। गांव के सरपंच घुरवाराम (पीडब्लू 4) के साक्ष्य से भी यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ताओं और मृतक के बीच झगड़ा हुआ था। अभियुक्त द्वारा इस्तेमाल किए गए हथियार कुल्हाड़ी और लाठी हैं, जो आमतौर पर कृषकों द्वारा उपयोग किए जाते हैं। यह दर्शाने के लिए अभिलेख पर कोई सामग्री नहीं है कि कोई पूर्वधारणा/पूर्व-योजना थी।

20. इन समस्त पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, अपीलकर्ताओं द्वारा अचानक झगड़े के बाद आवेश में आकर बिना सोचे-समझे अपराध किए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। मृतक को लगी चोटों की प्रकृति से यह नहीं कहा जा सकता है कि अपीलकर्ताओं ने अनुचित लाभ उठाया है या क्रूर या असामान्य ढंग से कार्य किया है।

21. मामले के इस दृष्टिकोण से, हम पाते हैं कि अपीलकर्ता संदेह का लाभ पाने के हकदार होंगे और भा.दं.स. कि धारा 302 के तहत दोषसिद्धि को भा.दं.स. कि धारा 304 के भाग I के तहत दोषसिद्धि में परिवर्तित की आवश्यकता है।

22. इसलिए हम वर्तमान अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करने के लिए इच्छुक हैं। 23. परिणाम में, हम निम्नलिखित आदेश पारित करते हैं:---

(i) अपील को आंशिक रूप से स्वीकृति दी जाती है।

(ii) भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत अपीलकर्ताओं की दोषसिद्धि को धारा 304 के भाग-1 के तहत दोषसिद्धि में परिवर्तित किया जाता है।

(iii) अपीलार्थी 17 फरवरी 2015 के इस न्यायालय के आदेश द्वारा जमानत पर रिहा होने से पहले ही 12 वर्ष से अधिक का दंड भोग चुका है। हम पाते हैं कि उक्त दंड न्याय के उद्देश्यों को पूरा करता है। इसलिए, अपीलकर्ताओं को पहले से ही बिताई गई अवधि के लिये दंड पारित किया जाता है।

(iv) जमानत बांड, यदि कोई हो, उन्मोचित माने जाएंगे।

24. हम विद्वान न्यायमित्र श्री विक्रान्त नारायण वासुदेवा के प्रति उनके बहुमूल्य सहयोग हेतु हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं।

प्रकरण का परिणाम:--अपील को आंशिक रूप से स्वीकृति दी जाती है।

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।